न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय वाराणसी।

सत्र परीक्षण वाद सं0 16/2020

राज्य बनाम श्रुति सिंह

12.03.2021

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त रोहित सिंह की तरफ से प्रार्थनापत्र सं0 7ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियोग की प्राथमिकी कुल 5 व्यक्तियों को नामित करते हुये दर्ज की गयी है। दौरान मुकदमा विवेचक ने प्राथमिकी में नामित 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों का अपराध में संलिप्तता न पाते हुये प्रक्रण से बाहर निकाल दिया गया है। प्रक्रण मजकूर में नामित 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति श्रुति सिंह और रोहित सिंह कथित अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने का पाते हुये अवर न्यायालय ने पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया है। अभियोजन कथानक के अनुसार कथित मुकदमा रोहित सिंह को श्रुति सिंह के साथ निवास करना बताया गया है जिसका कोई प्रमाण पत्रावली में नहीं है। मुताबिक कथानक प्राथमिकी अभियुक्ता श्रुति सिंह ने वादी मुकदमा के विरूद्ध कथित घटना के के दो वर्ष पूर्व तलाक का मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसका कोई प्रमाण पत्रावली में नहीं है। घटना दिनांक 11/12.10.2017 की है। उक्त तिथि को वादी मुकदमा के पुत्र की मृत्यु होना बताया गया है। कथानक अभियोजन घटना की प्राथमिकी घटना के लगभग तीन माह बाद थाने पर पंजीकृत करायी गयी है तथा कोई कारण बिलम्व का उल्लिखित नहीं है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मचारियों को वादी मुकदमा द्वारा नाजायज रूप से प्रभावित करते हुए एक रिपोर्ट तैयार कराकर झूठे कथन पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विवेचक को नाजायज रूपसे प्रभावित करते हुये आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे घटना में शामिल होने का कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। मात्र वादी मुकदमा के कह देने से कि प्रार्थी/अभियुक्त श्रुति सिंह के साथ निवास करता है अविश्वसनीय है। उक्त के संबंध में इतने गंभीर प्रक्रण में प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य पत्रावली में होना चाहिए जो न होकर घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के बाबत संदेह पैदा करता है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के प्रकाश में अभियुक्त को आरोपमुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जाये।

2. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक आपत्ति प्रस्तुत कर कहा गया है कि सिर्फ विलम्ब करने के आशय से अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है और पत्रावली दिनांक 18.01.2020 से आरोप में चल रही है। अभियुक्त ऐनकेनप्रकारेण आरोप विरचित नहीं होने देना चाहता है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

3. मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व सहा0 जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना व मामले की केस डायरी व उसके साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया।

4. वर्तमान मामले मे वादी द्वारा मामले की कथित घटना दिनांक 12.10.2017 के संबन्ध मे थाना कैण्ट मे दिनांक 19.01.2018 को मु0अ0सं0 62/2018 अंतर्गत धारा 304,328,120बी0 भा0दं0सं0 पांच लोगो के विरूद्व पंजीकृत कराया गया है जिसमे बाद विवेचना अभियुक्तगण श्रुति सिंह व रोहित सिंह के विरूद्व आरोपपत्र अंतर्गत धारा 302,328,120बी0 भा0दं0सं0 प्रेषित किया गया है।

5. केसडायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पर्चा नं0 3 में वादी मुकदमा ने साक्ष्य दिया है कि रोहित सिंह व रोहित सिंह के चाचा व राममनोहर सिंह ने मेरे पुत्र अर्षित के शव को मुझे तथा मेरे साथ गये लोगो को दिखाने से मना करते हुये अर्षित के शव को जल्दी से जल्दी दफनाने की बात करने लगे, लेकिन हम लोगो ने अर्षित के शव को देखा। उसके शव का रंग नीला पड़ा दिखाई दिया। मुझे उसी समय विश्वास हो गया कि मेरे पुत्र अर्षित को जहर देकर अभियुक्तगण श्रुति सिंह व रोहित सिंह द्वारा अन्य अभियुक्त के षड्यन्त्र से हत्या कर दी गयी है। इसी प्रकार का साक्ष्य विवेक सिंह ने देते हुये वादी के कथनों का सर्मथन किया है तथा मकान मालिक संतोष कुमार राय

ने भी साक्ष्य दिया है। इस प्रकार अभियुक्त रोहित सिंह के विरूद्ध उसके द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 302,328,120बी0 भा0दं0सं0 के कारित करने के संबन्ध मे केस डायरी मे प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है।

इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर उसका विचारण किये जाने के लिये पत्रावली पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नही है।

पलविन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह व अन्य 2009(1)जे.आई.सी. पृष्ठ 73 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि आरोप विरचित करते समय न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यन्त सीमित है और गम्भीर सम्भावनाओं के आधार पर भी आरोप विरचित किया जा सकता है। इस स्तर पर साक्ष्य का निर्वचन नहीं किया जा सकता है।

टी0 विजयन बनाम स्टेट आफ केरला ए.आई.आर. सु0को 2010 पृष्ठ 637 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि आरोप के स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष की सामग्री अपर्याप्त है तथा आरोप मुक्त किया जाना ही एक मात्र उपचार है।

भुवनेश्वर मिश्रा बनाम राज्य उ0प्र0 इलाहाबाद ला0 जनरल 2013(2) पृष्ठ 67 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने माननीय उच्चतम न्यायालय की विविध विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए यह अवधारित किया गया है कि आरोप के स्तर पर तथ्य सम्बन्धी विवादित प्रश्नों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और सभावनाओं के आधार पर ही अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था *कान्ती भद्शाह आदि बनाम राज्य पश्चिम बंगाल ए.आई.आर. 2000 सु0को0 पृष्ठ 522* में अवधारित सिद्धान्तों के अनुसार आरोप विरचित किये जाने की दशा में विस्तृत आदेश अपेक्षित नहीं है। केवल आरोपमुक्त किये जाने की दशा में आक्षेपित है।

तमिलनाडु राज्य,(पुलिस निरीक्षक सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधी के माध्यम से) बनाम एन0 सुरेश राजन एवं अन्य 2014(2)सी सी एस सी 692(एस0सी0) के मामले मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि उन्मोचन के लिये आवेदन के विचारण के प्रक्रम पर न्यायालय को इस धारणा से कार्यवाही करनी है कि अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लायी गयी सामग्री सत्य है और यह निष्कर्श निकालने की दृष्टि से उक्त सामग्री और दस्तावेजों का अधिमूल्यन करना है कि क्या उससे उद्भूत तथ्य उनको उनके प्राथमिक मूल्य पर अंगीकार किये जाने पर अभिकथित अपराध गठित करने वाले सभी आवश्यक तत्वों की विद्यमानता को प्रकट करते हैं।इस प्रक्रम पर जो कुछ विचारित किये जाने की आवश्यकता है वह यही है कि क्या यह उपधारणा करने का आधार है कि अपराध कारित किया गया है न कि क्या अभियुक्त को दोषसिद्व करने का आधार निर्मित होता है।विधि इस प्रक्रम पर लघु परीक्षण की अनुमति नही देती ।

ओंकार नाथ मिश्रा बनाम राज्य (एन0सी0टी0दिल्ली),(2008)2 एस0सी0सी0 561 एवं शिवराज सिंह अहलावत व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 52 के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि विधि इस प्रक्रम पर लघु विचारण की अनुमति नही देती है।

6. उल्लेखनीय है कि इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामला देखना होता है। इस स्तर पर यह नही देखना होता है कि मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे है अथवा नही। बल्कि इस स्तर पर केवल यह देखना है कि क्या यह उपधारणा करने का पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है? यदि इसका उत्तर सकारात्मक है तो अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश पारित नही किया जा सकता और अभियुक्त का विचारण किया जायेगा।

7. इस प्रकार अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष को सुनने के उपरान्त, मामले की केस डायरी, व अन्य साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात इस न्यायालय के मत में, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप निराधार प्रतीत नहीं

होता है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 302,328,120बी0 भा0दं0सं0 विरचित करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतैव अभियुक्त रोहित सिंह उन्मोचित किये जाने योग्य नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302,328,120बी0 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में आरोप विरचित कर उनका विचारण किया जाना न्याय संगत है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रोहित सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र 7ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते विरचित करने आरोप दिनांक 15.03.2021 को पेश हो। अभियुक्त दिनांक नियत को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आये।

अपर सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी न्यायालय वाराणसी
(Created under 14th Finance Commission)